International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)

E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

उत्तराखण्ड में पर्यटन स्थलों एवं गृह-आवास (होम-स्टे) की स्थिति का विवेचनात्मक अध्ययन

डॉ० किरन कुमार पन्त[1], सोनिया विलासराय[2]

[1]शोध निदेशक, असिस्टेन्ट प्रोफेसर (वाणिज्य विभाग), राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चम्पावत
[2]शोध छात्रा (वाणिज्य विषय), पी.एन.जी. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर, नैनीताल

शोध सारः
उत्तराखण्ड राज्य अपने प्राकृतिक सौंदर्य एवं धार्मिक स्थलों के लिए विश्वभर में जाना जाता है। यहाँ पर देश-विदेश से वर्ष भर अनेक पर्यटक आते रहते हैं प्रस्तुत शोध पत्र में उत्तराखण्ड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों का विवरण दिया गया है। राज्य में अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है परन्तु रोजगार की तलाश में राज्य के ग्रामीणों को शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करना पड़ता है जो कि उत्तराखण्ड के लिए एक बड़ी चुनौती है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र से तेजी से हो रहे पलायन से आर्थिक असमानताओं के साथ-साथ, कृषि उत्पादन तथा कृषि क्षेत्रफल में गिरावट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों की प्रति व्यक्ति आय में कमी जैसी कई अन्य चुनौतियाँ प्रकट हो रही हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में राज्य में हो रहे पलायन की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने व पलायन की रोकथाम हेतु पर्यटन विभाग द्वारा संचालित होम-स्टे योजना व योजना से लाभान्वित पंजीकृत होम-स्टे का विवरण दिया गया है। शोध पत्र के अन्त में विषय से सम्बन्धित सुझाव प्रस्तुत किए गये हैं।

बीज शब्दः उत्तराखण्ड, पर्यटन, पलायन, होम-स्टे, गृह-आवास, रोजगार, पर्यटन विभाग, पर्यटन स्थल, योजना, रियायतें, अनुदान ।

1. प्रस्तावनाः

भारत का 27वाँ राज्य उत्तराखण्ड 9 नवम्बर, 2000 को एक पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। यह राज्य हिमालय की तलहटी में स्थित है एवं राज्य नेपाल तथा तिब्बत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटा हुआ है। यह पर्वतीय राज्य भारत के तेजी से विकसित होने वाले राज्यों की सूची में सम्मिलित है। राज्य का 45.44 प्रतिशत भू-भाग वनाच्छादित हैं जो कि राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य के नैसर्गिक सौंदर्य से वशीभूत होकर साल भर देश-विदेश से अनेकों पर्यटक यहाँ आते हैं। राज्य एक ओर अपनी हरियाली के लिए प्रसिद्ध है तो वहीं दूसरी ओर अनेक युवा इसकी दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं एवं चंचल व तीव्र नदियों के कारण अपनी साहसिक क्षमताओं व इच्छाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। देवभूमि उत्तराखण्ड अपने धार्मिक स्थलों के कारण भी विश्व प्रसिद्ध है अतः अनेकों पर्यटक अपनी धार्मिक आस्थाओं की पूर्ति हेतु राज्य में आते हैं। पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का निःसंदेह एक महत्वपूर्ण विभाग है।

पर्यटन से राज्य में वर्ष 2006-07 से 2016-17 तक कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद में न केवल 50 प्रतिशत योगदान है वरन् पर्यटन से राज्य के सभी क्षेत्रों, दूरस्थ क्षेत्रों सहित, में भी लोगों को आजीविका के अवसर प्राप्त हुए

हैं। उत्तराखण्ड में पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2006 मे 19.45 लाख पर्यटक उत्तराखण्ड मे आये, जिनकी संख्या वर्ष 2016 तक 31.78 लाख अंकित की गयी। राज्य में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 5.03 प्रतिशत दर्ज की गयी। हाल ही में विश्व टूरिज्म एण्ड ट्रैवल काउंसिल की रिपोर्ट में, पूर्ण आकार के आधार पर, भारत को वैश्विक स्तर पर 7वीं सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्था के रूप में उल्लिखित किया गया और 2017 से 2027 के मध्य इस क्षेत्र में 7 प्रतिशत वृद्धि दर का अनुमान दिया गया है। अपेक्षित है कि उत्तराखण्ड देश में बढ़ते हुए पर्यटन के रूझान से लाभन्वित होगा।[ii] उत्तराखण्ड में पर्यटन उद्योग की अपार सम्भावनाऐं हैं इन्हीं सम्भावनाओं को ध्यान में रखकर उत्तराखण्ड पर्यटन विभाग राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है। इन्ही प्रयासों में से एक होम-स्टे व्यवस्था भी है जिसके अन्तर्गत पर्यटकों को किफायती दरों पर स्वच्छ व सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराने की मुहिम राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है।

2. पूर्व अध्ययनों की समीक्षाः

अध्ययनों की समीक्षा हेतु विभिन्न लेखकों द्वारा सम्पादित पुस्तकों व शोध आलेखों का अध्ययन किया गया है। जिसमें प्रमुख हैं:

जायरा, जसवन्त सिंह (2017)[iii] ने अपने अध्ययन में कहा कि होम-स्टे पर्यटन उत्तराखण्ड के लिए एक सम्भावित क्षेत्र है। राज्य सरकार को सक्रिय एवं ईमानदारी से मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। होम-स्टे के सफल विकास के लिए उचित योजना और प्रबंधन तथा सभी प्रमुख हितधारकों की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। संचालकों के कल्याण और व्यवसाय के सुचारू संचालन के लिए राज्य स्तरीय होम-स्टे एसोसिएशन विकसित करने की आवश्यकता है।

पटवाल, अनूप सिंह (2021)[iv] ने अपने अध्ययन में कहा कि होम-स्टे प्रबंधकों को पर्यटकों की पसंद और संतुष्टि को प्रभावित करने वाले कारकों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए।

मैसेक, इयान क्रिश्चियन (2012)[v] ने अपने शोध अध्ययन में बताया कि होम-स्टे कार्यक्रम का विकास सीधे तौर पर इकोटूरिज्म के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। होम-स्टे स्थानीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाने और इसके प्राकृतिक संरक्षण व सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का काम करता है। लेखक ने चरणबद्ध, बहु-ग्राम होमस्टे मॉडल को जोहार घाटी के लिए उपयुक्त बताया व होम-स्टे की शुरूआत मिलम और बुर्फू से शुरू करने का सुझाव दिया।

सेमवाल, राजीव एवं सिंह, अखिलेश (2023)[vi] के अनुसार होम-स्टे के निर्माण व संचालन में प्रयोग होने वाले स्वदेशी उत्पाद व सुविधाऐं अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल परिणाम देंगे।

3. अध्ययन के उद्देश्यः

उत्तराखण्ड में होम-स्टे की स्थिति के विवेचनात्मक अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है-

- राज्य में पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित पर्यटन स्थलों की स्थिति को प्रस्तुत करना।
- उत्तराखण्ड में होम-स्टे की स्थिति का तथ्यपरक विश्लेषण करना।

4. अध्ययन पद्धतिः

यह शोध आलेख मुख्य रूप से विवेचनात्मक अध्ययन पद्धति पर आधारित है। वर्तमान अध्ययन उत्तराखण्ड में होम-स्टे की स्थिति के विविध पक्षों की अन्वेषण से सम्बन्धित है अतः यह शोध आलेख पूर्णतः

द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। इस अध्ययन के लिए मूल अध्ययन स्रोत सरकारी वेबसाइटों, पत्र-पत्रिकाओं एवं दस्तावेज तथा विभिन्न लेखकों के शोध पत्रों से लिया गया है।

5. उत्तराखण्ड में पर्यटन स्थलों की स्थितिः

भारत के उत्तर में स्थापित नवीन राज्य उत्तराखण्ड अपने प्राकृतिक सौंदर्य एवं धार्मिक स्थलों के लिए विश्व विख्यात है। यहाँ पर देश-विदेश से वर्ष भर अनगिनत पर्यटकों का तांता लगा रहता है। इनमें से कुछ लोग अपनी धार्मिक आस्थाओं की पूर्ति हेतु तो कुछ राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य से वशीभूत होकर यहाँ खिंचे चले आते हैं। यहाँ की चंचल नदियों के तीव्र वेग एवं दुर्गम व ऊँची पर्वत चोटियों में साहसिक गतिविधियों हेतु भी अनेक पर्यटक राज्य में आते हैं।

उत्तराखण्ड पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के पर्यटन स्थलों में से प्रमुख 117 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को निम्नलिखित 5 भागों में विभाजित करके राज्य भर में चिन्हित किया गया है। जो कि निम्नलिखित हैं[vii] -

- पर्यटक आकर्षण केन्द्र- राज्य में कुल 37 पर्यटक आकर्षण केन्द्र चिन्हित किए गये हैं।
- धार्मिक स्थल- राज्य में कुल 41 धार्मिक स्थल चिन्हित किए गये हैं।
- जल स्त्रोत- राज्य में कुल 14 जल स्त्रोत चिन्हित किए गये हैं।
- वन्य जीव अभयारण्य- राज्य में कुल 13 वन्य जीव अभ्यारण चिन्हित किए गये हैं।
- पर्वत श्रृंखलाऐं- राज्य में कुल 12 पर्वत श्रृंखलाओं को चिन्हित किया गया है।

राज्य में सभी जनपदों के मुख्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों का वर्णन निम्नलिखित है[viii] –

- **अल्मोड़ा-**जनपद अल्मोड़ा में 2 पर्यटक आकर्षण केन्द्र, 5 धार्मिक स्थल व 1 वन्य जीव अभयारण्य को पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन केन्द्र के रूप में चिन्हित किया गया है जबकि यहाँ एक भी जल स्त्रोत व पर्वत श्रृंखला नहीं है। जनपद के पर्यटक स्थलों के नाम निम्नलिखित हैं-
  - **पर्यटक आकर्षण केन्द्र-**अल्मोड़ा शहर व रानीखेत।
  - **धार्मिक स्थल-**बिन्सर महादेव मन्दिर, दूनागिरी, जागेश्वर, कैंची धाम व कसार देवी मन्दिर।
  - **वन्य जीव अभयारण्य-**बिन्सर वन्य जीव अभयारण्य।
- **बागेश्वर-**जनपद बागेश्वर में 2 पर्यटक आकर्षण केन्द्र, 2 धार्मिक स्थल व 1 पर्वत श्रृंखला को पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन केन्द्र के रूप में चिन्हित किया गया है जबकि एक भी जल स्त्रोत व वन्य जीव अभयारण्य नहीं है। जनपद के पर्यटक स्थलों के नाम निम्नलिखित हैं-
  - **पर्यटक आकर्षण केन्द्र-**कौसानी व पिंडारी।
  - **धार्मिक स्थल-**बागेश्वर व बैजनाथ मन्दिर।
  - **पर्वत श्रृंखलाऐं-**त्रिशूल पर्वत।
- **चमोली-**जनपद चमोली में 4 पर्यटक आकर्षण केन्द्र, 6 धार्मिक स्थल, 2 जल स्त्रोत, 1 वन्य जीव अभयारण्य व 3 पर्वत श्रृंखलाओं को पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन केन्द्र के रूप में चिन्हित किया गया है। जनपद के पर्यटक स्थलों के नाम निम्नलिखित हैं-
  - **पर्यटक आकर्षण केन्द्र-**औली, जोशीमठ, कर्णप्रयाग व माणा।
  - **धार्मिक स्थल-** कल्पेश्वर, नन्दप्रयाग, रूद्रनाथ, हेमकुंड साहिब व विष्णुप्रयाग।
  - **जल स्त्रोत-** बेदिनीकुंड व रूपकुंड।
  - **वन्य जीव अभयारण्य-**नन्दादेवी वन्य जीव अभयारण्य।

- **पर्वत श्रृंखलाऐं**-दूनागिरी, कामेत व नन्दादेवी पर्वत।

➢ **चम्पावत**-जनपद में 2 पर्यटक आकर्षण केन्द्र व 2 धार्मिक स्थलों को पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन केन्द्र के रूप में चिन्हित किया गया है जबकि यहाँ एक भी जल स्त्रोत, वन्य जीव अभयारण्य व पर्वत श्रृंखला नहीं है। जनपद के पर्यटक स्थलों के नाम निम्नलिखित हैं-

- **पर्यटक आकर्षण केन्द्र**-चम्पावत शहर व टनकपुर।
- **धार्मिक स्थल**-पूर्णागिरी मन्दिर व रीठा साहिब।

➢ **देहरादून**-जनपद में 8 पर्यटक आकर्षण केन्द्र, 6 धार्मिक स्थल, 2 जल स्त्रोत व 4 वन्य जीव अभयारण्यों को पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन केन्द्र के रूप में चिन्हित किया गया है जबकि यहाँ एक भी पर्वत श्रृंखला नहीं है। जनपद के पर्यटक स्थलों के नाम निम्नलिखित हैं-

- **पर्यटक आकर्षण केन्द्र**-चकराता, देहरादून, लाखामण्डल, लंढौर, मसूरी, रामताल, सहस्त्रधारा, तपोवन।
- **धार्मिक स्थल**-नीलकंठ, माइन्ड रोलिंग मोनेस्टरी, नीलकंठ महादेव, ऋषिकेश, तपकेश्वर मन्दिर, त्रिवेणी घाट व विश्वामित्र आश्रम।
- **जल स्त्रोत**-केम्पटी फाल व टाईगर फाल।
- **वन्य जीव अभयारण्य**-चिल्ला रेंज, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान व आसन पक्षी अभयारण्य।

➢ **हरिद्वार**-हरिद्वार में 1 पर्यटक आकर्षण केन्द्र व 2 धार्मिक स्थलों को पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन केन्द्र के रूप में चिन्हित किया गया है जबकि एक भी जल स्त्रोत, वन्य जीव अभयारण्य एवं पर्वत श्रृंखला नहीं हैं। जनपद के पर्यटक स्थलों के नाम निम्नलिखित हैं-

- **पर्यटक आकर्षण केन्द्र**-हरिद्वार शहर।
- **धार्मिक स्थल**-हर की पौड़ी व मनसा देवी मन्दिर।

➢ **नैनीताल**-जनपद नैनीताल में 6 पर्यटक आकर्षण केन्द्र, 2 धार्मिक स्थल, 4 जल स्त्रोत व 1 पर्वत श्रृंखला को पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन केन्द्र के रूप में चिन्हित किया गया है जबकि यहाँ एक भी वन्य जीव अभयारण्य नहीं हैं। जनपद के पर्यटक स्थलों के नाम निम्नलिखित हैं-

- **पर्यटक आकर्षण केन्द्र**-भीमताल, काठगोदाम, जिम कार्बेट पार्क, मुक्तेश्वर, नैनीताल शहर व रामनगर।
- **धार्मिक स्थल**-हनुमान गढ़ी व नैनादेवी।
- **जल स्त्रोत**-नैनी झील, नौकुचियाताल, सातताल व भीमताल।
- **पर्वत श्रृंखलाऐं**-नैना पर्वत।

➢ **पौड़ी गढ़वाल**-जनपद में 2 पर्यटक आकर्षण केन्द्रों को पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन केन्द्र के रूप में चिन्हित किया गया है जबकि यहाँ एक भी धार्मिक स्थल, जल स्त्रोत, वन्य जीव अभयारण्य व पर्वत श्रृंखला नहीं है। जनपद के पर्यटक स्थलों के नाम निम्नलिखित हैं-

- **पर्यटक आकर्षण केन्द्र**-कोटद्वार व लैंसडाउन।

➢ **पिथौरागढ़**-जनपद में 2 पर्यटक आकर्षण केन्द्र, 5 धार्मिक स्थल व 1 वन्य जीव अभयारण्य को पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन केन्द्र के रूप में चिन्हित किया गया है जबकि यहाँ एक भी जल स्त्रोत व पर्वत श्रृंखला नहीं है। जनपद के पर्यटक स्थलों के नाम निम्नलिखित हैं-

- **पर्यटक आकर्षण केन्द्र**-चकोरी, मुन्सयारी, नामिक हिमनद व पिथौरागढ़ शहर।
- **धार्मिक स्थल**-पाताल भुवनेश्वर।
- **वन्य जीव अभयारण्य**-अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य।

- **रूद्रप्रयाग**-जनपद में 1 पर्यटक आकर्षण केन्द्र, 8 धार्मिक स्थल, 2 जल स्त्रोत व 2 वन्य जीव अभयारण्यों को पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन केन्द्र के रूप में चिन्हित किया गया है जबकि यहाँ एक भी पर्वत श्रृंखला नहीं है। जनपद के पर्यटक स्थलों के नाम निम्नलिखित हैं-
  - **पर्यटक आकर्षण केन्द्र**-चोपता।
  - **धार्मिक स्थल**-गौरीकुण्ड, गुप्तकाशी, केदारनाथ, मदमहेश्वर, रूद्रप्रयाग, सोनप्रयाग, तुंगनाथ व उखीमठ।
  - **जल स्त्रोत**-देवरिया ताल व वासुकी ताल।
  - **वन्य जीव अभयारण्य**-कंचुला खर्क कस्तूरी मृग अभयारण्य व केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य।
- **टिहरी गढ़वाल**-जनपद में 2 पर्यटक आकर्षण केन्द्र व 1 धार्मिक स्थल को पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन केन्द्र के रूप में चिन्हित किया गया है जबकि यहाँ एक भी जल स्त्रोत, वन्य जीव अभयारण्य व पर्वत श्रृंखला नहीं है। जनपद के पर्यटक स्थलों के नाम निम्नलिखित हैं-
  - **पर्यटक आकर्षण केन्द्र**-धनोल्टी व नई टिहरी।
  - **धार्मिक स्थल**-देवप्रयाग।
- **ऊधम सिंह नगर**-जनपद में 1 धार्मिक स्थल को पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन केन्द्र के रूप में चिन्हित किया गया है जबकि यहाँ एक भी पर्यटक आकर्षण केन्द्र, जल स्त्रोत, वन्य जीव अभयारण्य व पर्वत श्रृंखला नहीं है। जनपद के पर्यटक स्थलों के नाम निम्नलिखित हैं-
  - **धार्मिक स्थल**-नानकमत्ता साहिब।
- **उत्तरकाशी**-जनपद में 3 पर्यटक आकर्षण केन्द्र, 6 धार्मिक स्थल, 4 जल स्त्रोत, 1 वन्य जीव अभयारण्य व 6 पर्वत श्रृंखलाओं को पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन केन्द्र के रूप में चिन्हित किया गया है। जनपद के पर्यटक स्थलों के नाम निम्नलिखित हैं-
  - **पर्यटक आकर्षण केन्द्र**-गंगोत्री ग्लेशियर, हर की दून व यमुनोत्री।
  - **धार्मिक स्थल**-बद्रीनाथ, गंगोत्री, गोमुख, काशी विश्वनाथ मन्दिर, उत्तरकाशी व यमुनोत्री।
  - **जल स्त्रोत**-डोडीताल, केदारताल, नचिकेता ताल व रूईंसारा ताल।
  - **वन्य जीव अभयारण्य**-गोविन्द राष्ट्रीय उद्यान।
  - **पर्वत श्रृंखलाऐं**-बन्दर पूँछ, कालानाग, केदारकंठ, मांडा शिखर, शिवलिंग व स्वर्गारोहिणी।

6. उत्तराखण्ड में होम-स्टे योजना की पृष्ठभूमिः

उत्तराखण्ड हिमालयी क्षेत्र का एक प्रमुख राज्य है, जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 85% भाग पर्वतीय है। राज्य के 10 पर्वतीय जनपदों में लगभग 75% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में लगभग 60% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत हैं।[ix] रोजगार की तलाश में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन हो रहा है जो कि उत्तराखण्ड के लिए एक बड़ी चुनौती है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र से तेजी से हो रहे पलायन से आर्थिक असमानताओं के साथ-साथ, कृषि उत्पादन तथा कृषि क्षेत्रफल में गिरावट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों की प्रति व्यक्ति आय में कमी जैसी कई अन्य चुनौतियाँ प्रकट हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन की समस्या एवं इसके निवारण हेतु सुझाव प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग का गठन सन् 2017 में किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 से 2018 के मध्य 3946 ग्राम पंचायत क्षेत्र स्थायी पलायन से प्रभावित थे एवं इन ग्राम पंचायतों से स्थायी रूप से पलायन करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 118981 थी जबकि रोजगार की तलाश में अस्थायी रूप से पलायन की समस्या से 6338 ग्राम पंचायत क्षेत्र प्रभावित हुए थे एवं इन ग्राम पंचायतों

से अस्थायी रूप से पलायन करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 383726 थी। वर्ष 2018 से 2022 के मध्य 2067 ग्राम पंचायत स्थायी पलायन की समस्या से प्रभावित हुईं व इन क्षेत्रों से 28531 व्यक्तियों ने स्थायी रूप से पलायन किया जबकि इस दौरान 6436 ग्राम पंचायतें अस्थायी पलायन की समस्या से ग्रसित हुईं व यहाँ से अस्थायी रूप से पलायन करने वाले व्यक्तियों की संख्या 307310 थी।[x]

राज्य में निरन्तर हो रहे पलायन की समस्या को रोकने, रोजगार प्रदान करने, स्थानीय संस्कृति व उत्पादों से परिचित कराने के उद्देश्य से सन् 2015 में दीन दयाल उपाध्याय गृह-आवास (होम-स्टे) विकास योजना में प्रारम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत पर्यटन विभाग द्वारा इटली की तर्ज पर खाली गाँवों के पारम्परिक घरों को पर्यटन की सम्भावना के रूप में तलाशने, खाली हो चुके गावों को पुनर्जीवित व विकसित करने की योजना पर काम कर के होम-स्टे के माध्यम से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया।

7. उत्तराखण्ड में होमस्टे व्यवस्था के लाभ

- राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- पर्यटकों के लिए किफायती निवास की उपलब्धता।
- रोजगार के अवसरों को बढ़ावा।
- स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी ।
- पर्वतीय क्षेत्र से होने वाले पलायन पर रोक लगेगी।
- राज्य के वीरान हुए गाँव फिर से आबाद होंगे।
- राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

8. उत्तराखण्ड में होमस्टे व्यवस्था के लिए सरकारी योजना का अध्ययन

- **दीनदयाल उपाध्याय गृह-आवास विकास योजनाः**

उत्तराखण्ड में आने वाले देशी व विदेशी पर्यटकों को अभूतपूर्व अनुभव प्रदान कराने के साथ ही स्थानीय लोगों की खुशहाली हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सन् 2015 में दीनदयाल उपाध्याय होम-स्टे योजना शुरु की गई। इस योजना के द्वारा स्थानीय लोग अपने निवास स्थान को पर्यटकों के लिए विश्राम स्थल के रूप में प्रयोग करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं।

- **योजना हेतु पात्रता की शर्तें-**

इस योजना से लाभान्वित होने के लिए उत्तराखण्ड के मूल/स्थाई निवासी जो कि परिवार सहित भवन में निवास करते हों व जिनका भवन नगर निगम की सीमाओं के बाहर हो, अतिथियों के लिये न्यूनतम एक तथा अधिकतम छः कक्षों की व्यवस्था की गई हो, जैसी शर्तों का पालन करना आवश्यक है।

- **योजना के अन्तर्गत प्राप्त अवस्थापना सुविधाऐं[xi] –**

1. पर्यटन विभाग द्वारा पंजीकृत गृह-आवास के लिए पृथक से पोर्टल/ वेबसाइट तथा एप विकसित किया जाएगा, जिसमें गृह-आवास से सम्बन्धित समस्त जानकारियाँ विद्यमान होंगी।
2. ऑन-लाइन एवं ऑफ-लाइन वेबसाइट मार्केटिंग की सुविधा भी निःशुल्क गृह-आवास (होम-स्टे) मालिकों को प्रदान की जाएगी।
3. गृह-आवास के फेडरेशन बनवाकर उनके प्रतिनिधियों द्वारा होमस्टे के प्रचार-प्रसार हेतु उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा जिन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल मार्टस् में प्रतिभाग किया जाता है, में निःशुल्क प्रतिभाग किए जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

4. पर्यटकों की सुविधा हेतु गृह-आवास के सम्बंध में रेटिंग की व्यवस्था होगी, जिससे किसी गृह-आवास के विषय में पर्यटकों को उसके स्तर की जानकारी के साथ-साथ गृह-आवास मालिकों के मध्य भी प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होगी।
5. गृह-आवास संचालकों को समय-समय पर अतिथि सत्कार गतिविधियों के संचालनार्थ प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था होगी, इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अन्य विभागों के स्तर से प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण के साथ विकसित की जाएगी।
6. होम-स्टे को स्थापित करने एवं घर का नवीनीकरण करने के लिए पात्र आवेदकों को बैंक से ऋण लिए जाने की दशा में राजकीय सहायता प्रदान की गयी।
7. होम-स्टे संचालकों को आतिथ्य सत्कार का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था।

➢ **योजना के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय सहायता एवं रियायतें[xii] -**

इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की गयी-

1. राजकीय सहायता की धनराशि मूल सब्सिडी एवं ब्याज पर सब्सिडी का संयोजन होगी।
2. इसमें पूंजी संकर्म की लागत के 25% या रु० 7.50 लाख, इसमें जो भी कम हो, मूल सब्सिडी के रूप में एवं प्रथम 5 वर्षों में ऋण के सापेक्ष देय ब्याज का 50% अधिकतम रु० 1.00 लाख प्रतिवर्ष की दर से देय होगी।
3. पर्वतीय क्षेत्र के लाभार्थियों हेतु पूँजी संकर्म की लागत के 33% या रु० 10.00 लाख, इसमें जो भी कम हो, मूल सब्सिडी के रूप में एवं प्रथम 5 वर्षों में ऋण के सापेक्ष देय ब्याज का 50% अधिकतम रु० 1.50 लाख प्रतिवर्ष की दर से देय होगी।
4. होम-स्टे से प्राप्त आय पर प्रथम तीन वर्षों तक एस.जी.एस.टी. की धनराशि की भरपाई विभाग द्वारा की जाने की व्यवस्था की गयी।
5. विद्युत/जल/भवन कर कर आदि जैसे शुल्क/कर को सम्बन्धित विभागों द्वारा अव्यवसायिक दरों पर वसूल किया जा सकेगा।
6. गृह-आवास स्थापित किए जाने हेतु भू-उपयोग परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
7. उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रख्यापित ``सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम नीति, 2015'' के अन्तर्गत श्रेणी-ए, बी, बी एवं सी को इस योजना हेतु पर्वतीय क्षेत्र एवं श्रेणी बी को मैदानी क्षेत्र माना जायेगा।

➢ **सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम नीति, 2015 के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहनों तथा अनुदान सहायता हेतु चिन्हित क्षेत्रों का वर्गीकरण[xiii] -**

1. श्रेणी-ए के अन्तर्गत सम्मिलित क्षेत्रः

1.1 पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चम्पावत, चमोली, रूद्रप्रयाग व जनपद बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र।

2. श्रेणी-बी के अन्तर्गत सम्मिलित क्षेत्रः

2.1 पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल एवं अल्मोड़ा का सम्पूर्ण भू-भाग।

2.2 जनपद देहरादून के डोईवाला, विकासनगर, रायपुर एवं सहसपुर विकासखण्ड के अतिरिक्त अन्य सभी पर्वतीय बाहुल्य विकासखण्ड।

2.3 जनपद नैनीताल के रामनगर तथा हल्द्वानी विकासखण्ड के अलावा अन्य सभी पर्वतीय बाहुल्य विकासखण्ड।

3. श्रेणी-सी के अन्तर्गत सम्मिलित क्षेत्रः

3.1 जनपद देहरादून के डोईवाला, विकासनगर, रायपुर एवं सहसपुर विकासखण्ड के समुद्रतल से 650 मीटर से अधिक ऊँचे क्षेत्र।

3.2 जनपद नैनीताल के हल्द्वानी तथा रामनगर विकासखण्ड।

4. श्रेणी-डी के अन्तर्गत सम्मिलित क्षेत्रः

4.1 जनपद हरिद्वार व ऊधम सिंह नगर का सम्पूर्ण क्षेत्र एवं जनपद नैनीताल तथा देहरादून के वह क्षेत्र जो कि श्रेणी-बी एवं सी श्रेणी में सम्मिलित नहीं हैं।

9. उत्तराखण्ड में होमस्टे की वर्तमान स्थितिः

उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में होम-स्टे योजना से जुड़कर यहाँ के स्थानीय युवा स्वरोजगार को अपनाने के साथ ही पर्यटकों को उचित सेवा भी दे रहे हैं, जिससे उत्तराखण्ड के दुर्गम इलाकों के लोगों की आजीविका में सुधार आया है फलस्वरूप स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुद्दढ़ हुई है। राज्य के पर्वतीय जनपदों में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने एवं गाँवों से हो रहे पलायन को रोकने हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा होम-स्टे योजना की शुरुआत की गयी थी, जिसके अन्तर्गत पर्यटक स्थलों में स्थानीय लोग अपने ही घरों में देश-विदेश के पर्यटकों के लिए ग्रामीण परिवेश में साफ व किफायती आवास सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ पर पर्यटकों को स्थानीय व्यंजन परोसने के साथ ही उन्हें यहाँ की सभ्यता एवं संस्कृति से भी परिचित कराया जा रहा है। जो कि पर्यटकों द्वारा बहुत पसन्द किया जा रहा है।

- **होम-स्टे योजना के आँकड़े**

होम-स्टे योजना के अब तक के आँकड़ें देखें जाये तो राज्य में नवम्बर, 2017 तक पंजीकृत होम-स्टे की संख्या 268 थी,[xiv] वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के सभी जनपदों में 965 होम-स्टे पंजीकृत हुए जबकि वर्ष 2021-22 में यह आँकड़ा बढ़कर 3964 पहुँच गया। राज्य में सितम्बर, 2023 तक 5182 होम-स्टे पंजीकृत हो चुके हैं।[xv] राज्य में जनपदवार वर्तमान होम-स्टे की स्थिति सारणी संख्या 1 में दर्शायी गई हैं -

राज्य में जनपदवार होम-स्टे व पर्यटन स्थलों की संख्या

सारणी संख्याः 1

क्र० सं०	जनपद का नाम	होमस्टे की संख्या	पर्यटन स्थल की संख्या					
			पर्यटक आकर्षण केन्द्र	धार्मिक स्थल	जल स्त्रोत	वन्य जीव अभयारण्य	पर्वत श्रृंखलाऐं	योग
1	अल्मोड़ा	443	2	5	-	1	-	**8**
2	बागेश्वर	167	2	2	-	-	1	**5**
3	चमोली	602	4	5	2	1	3	**15**
4	चम्पावत	146	2	2	-	-	-	**4**
5	देहरादून	690	8	6	2	5	-	**21**
6	हरिद्वार	65	1	2	-	-	-	**3**
7	नैनीताल	808	6	2	4	-	1	**13**
8	पौड़ी गढ़वाल	236	2	-	-	-	-	**2**
9	पिथौरागढ़	712	4	1	-	1	-	**6**
10	रूद्रप्रयाग	264	1	8	2	4	-	**15**
11	टिहरी	341	2	1	-	-	-	**3**

	गढ़वाल							
12	ऊधम सिंह नगर	12	-	1	-	-	-	**1**
13	उत्तरकाशी	696	3	6	4	1	7	**21**
	योग	**5182**	**37**	**41**	**14**	**13**	**12**	**117**

स्त्रोतः *उत्तराखण्ड पर्यटन विभाग व उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं निवारण पलायन आयोग से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर आधारित*

पाई चार्ट संख्याः 1
जनपदवार होमस्टे की संख्या

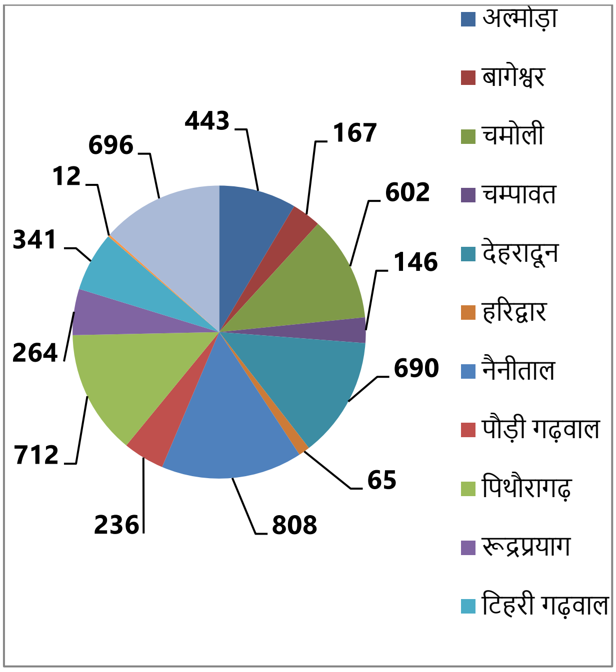

पाई चार्ट संख्याः 2
जनपदवार पर्यटन स्थलों की संख्या

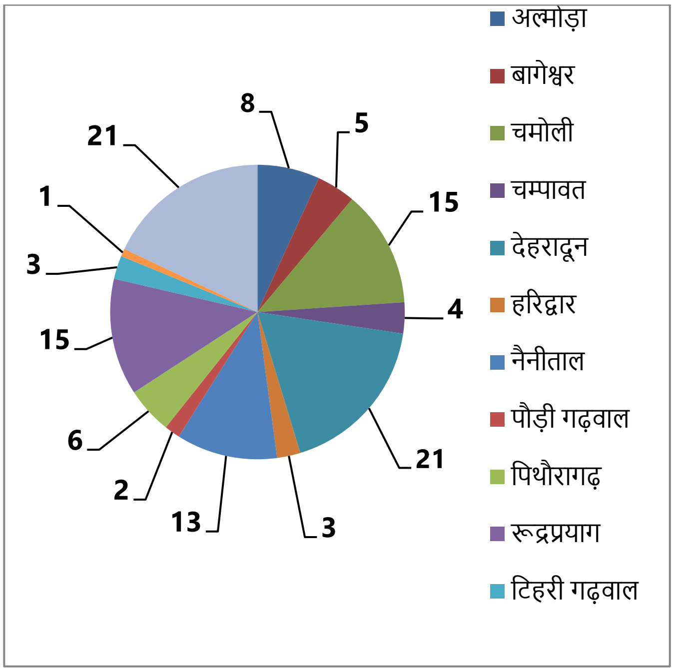

स्त्रोतः *उत्तराखण्ड पर्यटन विभाग व उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं निवारण पलायन आयोग से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर आधारित*

व्याख्याः उपरोक्त सारणी संख्या 1 में राज्य के सभी जनपदों के पर्यटन स्थलों की संख्या को दर्शाया गया है। पर्यटन विभाग द्वारा विभाजित पर्यटन स्थलों में 117 पर्यटक स्थलों को चिन्हित किया गया है। जिसमें सर्वाधिक 21-21 पर्यटक स्थल जनपद देहरादून व उत्तरकाशी में हैं। रूद्रप्रयाग में कुल 15, नैनीताल में कुल 13, चमोली में कुल 15, अल्मोड़ा में कुल 8, पिथौरागढ़ में कुल 6, बागेश्वर में कुल 5, चम्पावत में कुल 4, टिहरी गढ़वाल में कुल 3, पौड़ी गढ़वाल में कुल 2 एवं ऊधम सिंह नगर में कुल 1 पर्यटन स्थल चिन्हित किया गया है। राज्य में 5182 होम-स्टे पंजीकृत हैं जिनमें से सर्वाधिक 808 होम-स्टे नैनीताल जनपद में, 712 होम-स्टे पिथौरागढ़ जनपद में, 696 होम-स्टे उत्तरकाशी जनपद में, 690 होम-स्टे देहरादून जनपद में, 602 होम-स्टे चमोली जनपद में, 443 होम-स्टे अल्मोड़ा जनपद में, 341 होम-स्टे टिहरी गढ़वाल जनपद, 264 होम-स्टे रूद्रप्रयाग में, 236 होम-स्टे पौड़ी गढ़वाल जनपद में, 167 होम-स्टे बागेश्वर जनपद में, 146 होम-स्टे चम्पावत जनपद में, 65 होम-स्टे हरिद्वार जनपद में एवं 12 होम-स्टे ऊधम सिंह नगर जनपद में पंजीकृत हैं।

10.निष्कर्ष एवं सुझाव

उत्तराखण्ड के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में अभी भी ऐसे अनेक स्थान हैं जो अपने नैसर्गिक सौन्दर्य तथा प्राचीन धार्मिक स्थलों व संस्कृति के प्रचार प्रसार से अछूतें हैं फलस्वरूप वहाँ पर्यटन विकसित नहीं हो पाया है। ऐसे स्थानों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा विशेष प्रयासों की अति आवश्यकता है। पर्यटन के विकास से ऐसे पिछड़े क्षेत्रों के निवासी भी होम-स्टे योजना का लाभ उठा पायेगें जिससे उनका आर्थिक स्तर मजबूत होगा व राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले पलायन पर भी रोक लगेगी। राज्य के ऐसे जनपद जो अन्य जनपदों की अपेक्षा पर्यटन विकास के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं उन्हें कुछ विशेष रियायतें व अनुदान प्रदान कराने का प्रावधान भी योजना में सम्मिलित करना चाहिए।

सन्दर्भ सूची

1. उत्तराखण्ड की 17वीं वन रिपोर्ट, 2021।
2. https://investuttarakhand.uk.gov.in/themes/backend/acts/act_english1540987219.pdf
3. https://www.researchgate.net/publication/354143118_Home_Stay_Tourism_In_Uttarakhand-_Opportunities_Challenges, Page 58.
4. Patwal, Anup Singh (2021), "Tourist Motivation and Satisfaction Factors: A Case Analysis of Homestays in Uttarakhand", School of Hospitality Management IMS UNISON University, Dehradun, page 36.
5. Macek, Ian Christian (2012), "Homestays as Livelihood Strategies in Rural Economies: The case of Johar Valley, Uttarakhand, India", Department of Urban Design and Planning University of Washington, page 89.
6. Semwal, Rajeev and Singh, Akhilesh (2023), "Uttarakhand, Unveiling the Potential of Homestays in Uttarakhand: Exploring Sustainable Tourism and Socio-Cultural Impacts", Dept. of Tourism Management, Uttarakhand Open University, Haldwani, Page 71.
7. https://uttarakhandtourism.gov.in/sites/default/files/2022-05/Tourist-Map Uttarakhand%20%281%29.pdf
8. तदैव
9. डॉ॰ शरद सिंह, नेगी, उपाध्यक्ष, ''वक्तव्य'', उत्तराखण्ड के ग्राम पंचायतों में पलायन की स्थिति पर द्वितीय अंतरिम रिपोर्ट'', ग्राम्य विकास एवं पलायननिवारण आयोग, उत्तराखण्ड, पौड़ी, 2023 (http://www.uttarakhandpalayanayog.com/pdf/)
10. ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, उत्तराखण्ड, पौड़ी, उत्तराखण्ड के ग्राम पंचायतों में पलायन की स्थिति पर द्वितीय अंतरिम रिपोर्ट, फरवरी, 2023, पृष्ठ संख्या 52-63
11. https://investuttarakhand.uk.gov.in/themes/backend/acts/hindi-Home-Stay-Niyamawali-2018-1.pdf, page 7.
12. तदैव, Page 4.
13. https://www.siidcul.com/programs/48599_msme-policy-2015-06-july-2018.pdf

14. https://uttarakhandtourism.gov.in/homestay/UserFiles/files/uttarakhand-home-stay-niyamwali2-2017-29-11-17.pdf
15. https://uttarakhandtourism.gov.in/homestay-listing.